

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 अप्रैल 2022—वैशाख 1, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2022

क्र. एफ—ए—3—03—2022—1—पांच (26).— यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 71 की उप—धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शब्दियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, नियम 54 में,—

1. उप—नियम (1) में,—

(1) शब्द, चिन्ह तथा अंक “प्ररूप 41—क में”, के स्थान पर शब्दों “आयकर के प्रयोजन के लिए” प्रतिस्थापित किए जाएं।

(2) परंतुक के खण्ड (एक) तथा (दो) का लोप किया जाए।

2. उप—नियम (2) को लोप किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2022

क्र. एफ—ए—३—०३—२०२२—१—पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए—३—०३—२०२२—१—पांच (26), दिनांक 21 अप्रैल, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 21st April 2022

No. F A 3-03-2022-1-V-(26).— WHEREAS, the State Government Considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 54,-

1. in sub-rule (1),-
 - (1) for the words, figure and letter “in Form 41-A”, the words “for the purpose of Income Tax” shall be substituted.
 - (2) clause (i) and (ii) of the proviso shall be omitted.
2. sub-rule (2) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.